कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक -3477 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक,12-06-2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- चम्पावत के अन्तर्गत बिनवालगॉव कलियाधूरा (छिड़ाखान) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.720 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/145468/2021.

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 09 / 2023 / एफ0सी0 / 1537 दिनांक 09.02.2023।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के पत्रांक 4217 / 12-1 (2) दिनांक 02.06.2023 द्वारा सूचित किया है। इन्हें तीन प्रतियों में स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

...लय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

Email-dfo_champawat@rediffmail.com

पत्रांक 4217/12-1 चम्पावत, दिनांक 2-6-2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद चम्पावत के अन्तर्गत बिनवालगॉव कलियाधूरा (छिड़ाखान) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.720 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। **(Online No-FP/UK /ROAD /145468/ 2021)**

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी/06/09/2023/एफ0सी0 /1537, दिनांक 09.02.2023 एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, चम्पावत की पत्र संख्या 1328/2 सी0 दिनांक 17.05.2023 एवं पत्र संख्या 1394/2सी0 दिनांक 22.05.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद चम्पावत के अन्तर्गत बिनवालगॉव कलियाधूरा (छिड़ाखान) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.720 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी/06/09/2023/एफ0सी0 /1537,, दिनांक 09.02.2023 द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण कर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। जिसके आधार पर आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:–

क्र.स.	भारत सरकार द्वारा उल्लिखित बिन्दु	प्रतिउत्तर
1	बिन्दु सं0–1 Three village are to be benefited by the proposed road but in details of villages to be benefited population of only two villages i.e. Binwalgaon and Goldanda is mentioned. Hence, the clarification and necessary corrections in this regard is needed to be done by the State Govt.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम सभा गोलडांडा के अर्न्तगत तोला तोक भी है जिसकी ग्राम सभा एवं लाभान्वित होने वाली आवादी एवं जनसंख्या ग्राम सभा गोलडॉडा एक ही एवं राजस्व ग्राम अलग होने के कारण भूमि तोला के नाम से ली गई है ग्राम प्रधान का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के पृष्ट सं0– 108 में संलग्न है जिस कारण प्रभावित दो ही ग्रामसभा बिनवालगॉव एवं गोलडॉडा ही दर्शाये गये है।
2	बिन्दु सं0–2 On perusal of KML it appears that all the beneficiary villages appear to be connected at point 24 as shown in the digital map. Hence. There seem to be no need to extend the path beyond. The concerned DFO is requested to visit the area and submit a detailed report based on the above fact.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 16.500 कि0मी0 का तैयार कर शासनादेशानुसार अग्रसारित किया गया था। जो कि दिनांक 23–09–2020 को आर0 ई0 सी0 की बैठक में लगाई 15,200 कि0मी0 का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है, (निर्देशों की छाया प्रति संलग्न की जा रही है) जो कि अन्तिम बिन्दु आवादी एवं नाप भूमि तक लिया गया है के0एम0एल0 में पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मकान अलग–अलग दिखाई दे रहे है, निर्देशों के अनुपालन में 15,200 कि0मी0 लम्बाई में संशोधित प्रस्ताव में तैयार कर प्रेषित किया गया है।
3	बिन्दु सं0–3 State Govt. is requested to submit the cost befefit analysis in the prescribed format.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा निर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव निर्माण मार्ग दर्शिका 2014 के दिये गये प्रोफार्मा के अनुसार तैयार कर प्रस्ताव में चस्पा किया गया है।
4	बिन्दु सं0–4 State Govt. is requested to submit/upload the enumeration list of tress including the details of tress of 0-10 dia.	0–10 व्यास के वृक्षों की गणना उपरान्त संशोधित वृक्षों की सूची 5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

	5 Possibility of disposing the muck in ...est land has not been worked out ...sidering the fact that the proposed alignment ...ntails 2.59 ha area of private land. The State Govt. is requested to find suitable non-forest area for muck disposal and also submit the separate enumeration list for the dumping sites.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग के समरेखण में विभिन्न स्थानों पर 2.59 हे0 नाप भूमि प्रभावित हो रही है जिसमें हर जगह की स्थिति निम्नवत है– कि0मी0 1.00 में 250 मी0 नाप भूमि के नीचे आवादी होने तथा कि0मी0–4 तक कोई मलवा निस्तारण हेतु नाप भूमि उपलब्ध नहीं है कि0मी0–5 एवं 6 में जो नाप भूमि प्रभावित हो रही है वह एकदम ऊँचाई वाले भाग में है चूंकि ढलान से ऊँचाई में मलवा 2–3 कि0मी0 की दूरी से पहुंचा पाना पहाड़ी भाग में सम्भव नहीं है साथ ही कि0मी0 8, 9, 10, 11, 14, 15 में जो नाप भूमि प्रभावित हो रही है वह आवादी एवं मकानों के निकट है जहां पर मलवा डम्पिंग स्थल हेतु स्थल उपलब्ध नहीं है साथ ही आधिकांश मलवा निस्तारण स्थल मार्ग के पहाड़ी ढलान को मध्य नजर रखते हुए सीमित लम्बाई व चौड़ाई में उपयुक्त सिविल भूमि का चयन करते हुए प्रत्येक कि0मी0 में स्थल चयनित किये गये है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार सूचना अपने स्तर से अपर प्रमुख एवं नोडल अधिकारी भूमि संरक्षण निदेशालय, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,

(आर.सी.काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

पत्रांक 4217 / 12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।